न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 27/2016/अपील

गोविन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.04.2012 मु.न. 07/2012 अनुवानी सरकार बनाम कजोड़ द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र कुमार मातवा

निर्णय **दिनांकः–31.12.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ने दिनांक 09.04.2012 को तहसीलदार के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि कजोड़ पिता भक्ता जाति जाट निवासी सीमारला जागिर ने खसरा नम्बर 361 गै0मु0 रास्ता की भूमि में 0.25 हैक्टर पर मौके पर पत्थर डालकर चार दीवारी बना रखी है तथा काश्त कर रहा है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 18.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय ने गैरसायल कजोड़ पुत्र भक्ता को जरिये नोटिस द्वारा 91 एलआर एक्ट जारी किया गया एवं गैरसायल को बेदखली हेतु आदेश पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व न तो हल्का पटवारी के बयान लेखबद्ध किये, ना ही हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अन्य कर्मचारी से जांच करवाई, जब कि हल्का पटवारी ने बिना मौके पर गये ही जांच रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। मौके पर कजोड़ पिता भक्ता नाम का कोई पडौसी व्यक्ति भी नही है। हल्का पटवारी ने जो पत्थर डालना बताया है तथा जो चार दीवारी बताई है वह प्रार्थी/अपीलान्ट की आवासीय ढाणी है। जो उसके खातेदारी की भूमि में खसरा संख्या 362/2 में बनी हुई है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कतई गलत रूप से राजनैतिक दबाब में आकर प्रार्थी/अपीलान्ट की आवासीय ढाणी को रास्ते में अतिक्रमण बताकर गांव के अन्य व्यक्ति को अतिक्रमी बताकर कतई गलत रूप से आदेश जैर अपील पारित करवाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.04.2012 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद निर्धारित तिथि को अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा, जो कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर

प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम सिमारला जागीर के खसरा नम्बर 361 रकबा 0.25 है0 किस्म गै.मु.रास्ता में से 0.25 है0 पर पत्थर डालकर एवं चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता अंकित है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः गै.मु.रास्ता की भूमि पर अपीलांट द्वारा पत्थर डालकर एवं चार दिवारी बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 23.04.2012 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर